झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
सप्तम् (शीतकालीन) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 22.12.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह स0वि0स0	दिनांक- 05.08.2021 को झारखण्ड मंत्रिपरिषद् की बैठक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में कुल 12 क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को चिन्हित कर स्वीकृति दी गई है। गोड्डा जिला सहित राज्य के अधिकांश हिस्सें में हिन्दी, अंगिका, मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस भाषाओं को शामिल नहीं करने से राज्य के अधिकांश युवाओं को समान अवसर नही मिल पाएगा। समाचार पत्र सोशल मिडिया एवं अन्य सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुआ है कि लगभग 20 विभागों ने नए सिरे से नियुक्ति नियमावलियाँ तैयार कर ली है तथा जल्द ही विभिन्न नौकरियों के लिए वैकेंसी जारी होने वाला है। अतएव राज्य के अधिकांश हिस्से में बोले जाने वाले लोगों को समान अवसर प्रदान करने हेतु हिन्दी, अंगिका, मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि भाषा को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने हेतु सरकार का ध्यानआकृष्ट करती हूँ।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

01.	02.	03.	04.
02-	श्री जय प्रकाश भाई पटेल स0वि0स0 श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0	झारखण्ड राज्य में कार्यरत सिपाही, हवलदार को त्योहार आदि कार्यों में कार्य करने के बदले अतिरिक्त मानदेय दी जा रही है, परन्तु इन जवानों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति अवकाश सरकार द्वारा (जब्त) छीन ली गयी है जबकि वर्त्तमान सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणा-पत्र में यह कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को पूर्व की तरह पेंशन नीति लागू की जायेगी एवं वर्ष में 13 माह का वेतन भुगतान किया जायेगा, परन्तु उक्त घोषणा का अनुसरण सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है जिससे पुलिस सिपाही, हवलदार आन्दोलनरत है। राज्य के सिपाही, हवलदार अपने सीमित संसाधनों से राज्यहित एवं जनहित के कार्यों में निष्ठापूर्वक कार्यरत है। अतः सिपाही, हवलदार को 13 माह का वेतन, पुरानी पेंशन नीति एवं क्षतिपूर्ति अवकाश पुनः लागू कराने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन
03-	डॉ0 इरफान अंसारी स0वि0स0 श्री बंधु तिर्की स0वि0स0 श्री उमा शंकर अकेला स0वि0स0	विदित हो कि संथाल परगना के देवघर, जामताड़ा साहेबगंज, दुमका में बड़े पैमाने पर गिट्टी, बालू, कोयला, पत्थर की तस्करी हो रही है जिसमें पहाड़ तक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। खास कर जामताड़ा जिलान्तर्गत बोका पहाड़ी जो कि आदिवासियों का एक महत्त्वपूर्ण धर्मस्थल है, जहाँ साउथ इंडियन MAX Company द्वारा पहाड़ काटकर अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है, जिससे उक्त धर्मस्थल अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। पत्थरों का ब्लास्ट होने के कारण ध्वनि प्रदूषण से ग्रामीण ठीक से सो नहीं पाते हैं, साथ ही इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर भी काफी बढ़ गया है जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।	खान एवं भूतत्व

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		अतः पूरे संथाल परगना क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।	
04–	श्री रामदास सोरेन स0वि0स श्री नलिन सोरेन स0वि0स0	उल्लेखनीय है कि दिनांक– 05.11.2005 को सरकार के गृह सचिव की अध्यक्षता में पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत घाटशिला अंचल में स्थित हिन्दुस्तान कॉपर लि0 के मुसाबनी एवं राखा टाउनशिपों के हस्तांतरण के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की जाने हेतु आयोजित बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया था जिसमें प्रस्ताव संख्या– 06 अन्तर्गत हस्तांतरित टाउनशिपों में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं मेडिकल कॉलेज स्थापना करने का प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया था जिसपर सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को उक्त संबंध में जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था। उल्लेखनीय है कि हिन्दुस्तान कॉपर लि0 की मुसाबनी एवं राखा टाउनशिप की अधिग्रहण भूमि की कुल रकवा कितनी है, तथा क्या उक्त चिन्हित भूमि का सीमांकन किया गया है यह अबतक स्पष्ट नहीं है। उसके बावजूद सरकार द्वारा उक्त कम्पनी के नाम पर की गई अधिग्रहण भूमि को पुनः जियाड़ा को किस नियम/अधिसूचना/संकल्प के आधार पर हस्तांतरण किया गया यह जाँच का विषय है। क्योंकि गृह विभाग को उक्त अधिग्रहण भूमि को किसी अन्य संस्था/प्राधिकार को हस्तांतरण का अधिकार प्राप्त है या नहीं, यह भी जाँच का विषय है। दरअसल सरकार रैयतों से उक्त भूमि का अधिग्रहण हिन्दुस्तान कॉपर लि0 के नाम पर की थी। परन्तु अब उक्त भूमि को अन्य संस्था/प्राधिकार को हस्तांतरण करने से सम्बंधित रैयतों के अधिकार का हनन हो रहा है। अतः सरकार का ध्यान राज्य के इस गम्भीर विषय पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
05-	श्री अमित कुमार यादव स0वि0स0 श्री विनोद कुमार सिंह स0वि0स0	झारखण्ड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति यथा मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये गंभीर रूप से घायल होने पर 01 लाख रूपये स्थायी रूप से अपंग होने पर 02 लाख रूपये, साधारण रूप से घायल होने पर 15 हजार रूपये तथा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान का 1 लाख 30 हजार रू0, गभीर रूप से क्षतिग्रस्त पक्का मकान हेतु 40 हजार रू0, कच्चा मकान का 20 हजार रूपये के साथ-साथ भंडारित अनाज, गाय/बैल की मृत्यु, नष्ट किये गये फसल, भेड़/बकरा/बकरी की मृत्यु होने पर मुआवजा का भुगतान वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जाता है जो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार बहुत ही कम है। अतः व्यापक लोकहित में उक्त सभी प्रकार के जान-माल की क्षति होने पर मिलनेवाली मुआवजा राशि को वर्त्तमान परिस्थिति को देखते हुए सम्मानजनक वृद्धि करने हेतु सदन एवं सरकार का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

रॉची,
दिनांक- 22 दिसम्बर, 2021 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-53/2021-...2581.../वि0 स0, रॉची, दिनांक-21/12/21

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रॉची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, रॉची/ सचिव, कार्मिक प्रशानिक सुधार तथा राजभाष विभाग/ सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग/सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/21

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-53/2021-..2581.../वि0 स0, रॉची, दिनांक-21/12/21

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

21/12/21

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉची।

सुभाष/-

21/12/21